[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 15th August, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

SI.No.	Section		
(1)	Section 15;		
(2)	Section 16;		
(3)	Section 75; and		
(4)	Section 76.		

[File No. 1 /1 /2018-CL.I-part]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, 05 जुलाई, 2018

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् -

क्र.सं.	धारा	
(1)	धारा 15;	
(2)	धारा 16;	100
(3)	धारा 75; और	
(4)	धारा 76.	

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.। (पार्ट)]

के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 5th July, 2018 as the date on which the provisions of Section 20 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /1 /2018-CL.I

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिस्चना</u>

नई दिल्ली, 05 जुलाई, 2018

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I

के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार